हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.14/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.7.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कालुराम पुत्र जेठाराम जी, जाति– घांची, निवासी– घांचियों वाली बडी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.8.2021 को फर्म आम्बेश्वर स्वीट होम, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता कालुराम पुत्र जेठाराम जी, जाति– घांची, निवासी– घांचियों वाली बडी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर का नमूना संख्या S-1478 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./549/Act/2021/647 दिनांक 02.9.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी कालुराम को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.8.2021 को समय 10.15 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आम्बेश्वर स्वीट होम, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कालुराम पुत्र जेठाराम जी, जाति– घांची, निवासी– घांचियों वाली बडी गली, जावाल उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटर फूड घेवर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटर फूड घेवर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु [illegible] करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवा[illegible] सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए [illegible] कालुराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर काउन्ट पर स्टील की ट्रे में रखे प्रोपराईटर फू[illegible] ......लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.14/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	घेवर लगभग 5 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटर फूड घेवर को जांच हेतु एक साफ सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं प्रोपराईटरी फूड घेवर की कीमत राशि रुपये 800/– (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी कालुराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक जार दिखाए। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1478, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड को चारों जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना जारों में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों जारो कोा ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना जारों को को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1478 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 21.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ... आलेश्वर स्वीट होम, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

..., जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.14/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कालुराम से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर के नमूना संख्या S-1478 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./549/Act/2021/647 दिनांक 02.9.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कालुराम पुत्र जेठाराम जी, जाति– घांची, निवासी– घांचियों वाली बडी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड घेवर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी कालुराम पुत्र जेठाराम जी, जाति– घांची, निवासी– घांचियों वाली बडी गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आम्बेश्वर स्वीट होम, पुराना बस स्टेण्ड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी कालुराम को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 27.7.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2022.11.17 16:49:14 IST Reason: SelfAttested	